न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.
पत्रावली संख्या : 50 / 25 (विविध प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नम्बर : 2025 / 178

1. श्री बाबुलाल पुत्र मोहनलाल डांगी निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. श्री लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मणलाल पुत्र मोहनलाल डांगी निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली जिला उदयपुर।

.................प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती झमकु पत्नी सुखा डांगी निवासी गन्दोलीखेड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. श्रीमती बसन्तीबाई पुत्री गोरधन पत्नी मोहन डांगी निवासी टेरिया हाल मोरजाई तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
3. श्री शंकरलाल पुत्र गोरधन डांगी निवासी टेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर।
4. संगीत पुत्री भंवरीबाई डांगी निवासी टेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर।
5. सुरेशचन्द्र पुत्र भंवरबाई डांगी निवासी टेरिया हाल ओडवाडिया तहसील मावली जिला उदयपुर।
6. श्री जयराम पुत्र जोधा जाट निवासी मावली गांव तहसील मावली जिला उदयपुर। फौत
7. श्री भगवान पुत्र जोधा जाट निवासी विशनपुरा तहसील मावली जिला उदयपुर।
8. केसीबाई पुत्री देवा डांगी निवासी गन्दोलीखेड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
9. झमकु बाई पुत्री देवा डांगी निवासी गन्दोलीखेड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
10. जमकु पत्नी सुखा डांगी निवासी विजनवास हाल गन्दोलीखेड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
11. श्री मोहनलाल पुत्र भोला डांगी निवासी रेड बांसलिया, तहसील मावली जिला उदयपुर।
12. श्री रतनलाल पुत्र सुखलाल डांगी निवासी गन्दोलीखेड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
13. श्री आसुराम पुत्र नाथु रेगर निवासी मावली गांव तहसील मावली जिला उदयपुर। फौत
14. श्री किशनलाल पुत्र हरीराम रेगर निवासी मावली गांव तहसील मावली जिला उदयपुर।
15. जसु पुत्री हरीराम रेगर निवासी मावली गांव तहसील मावली जिला उदयपुर।
16. नारायणलाल पुत्र हरीराम रेगर निवासी मावली गांव तहसील मावली जिला उदयपुर।
17. नोजीबाई पत्नी हरीराम रेगर निवासी मावली गांव तहसील मावली जिला उदयपुर।
18. लक्ष्मीलाल पुत्र हरीराम रेगर निवासी मावली गांव तहसील मावली जिला उदयपुर।
19. शांति पुत्री हरीराम रेगर निवासी मावली गांव तहसील मावली जिला उदयपुर।
20. मीराबाई पुत्री सुखलाल पत्नी मोहन डांगी निवासी बागथल तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
21. रामलाल पुत्र सुखलाल डांगी निवासी गन्दोलीखेड़ा तहसील मावली जिला उदयपुर।
22. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:43:12 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :– 1. श्री दिलीप वैष्णव, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम
निर्णय

दिनांक : 27.05.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा गन्दोलीखेड़ा पटवार हल्का लदानी तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 495/81 रकबा 0.2671 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है। आराजी नम्बर 86, 87 किता 2 कुल रकबा 0.2995 हैक्टर भूमि प्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। आराजी नम्बर 90, 91 किता 2 कुल रकबा 0.2833 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है। आराजी नम्बर 95 रकबा 0.2347 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। आराजी नम्बर 141, 88, 89 किता 3 कुल रकबा 0.6961 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पड़ौस में विपक्षीगण की भूमि स्थिति है। प्रार्थीगण अपनी भूमि के चारो और बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करना चाहते है। इसलिए हम प्रार्थीगण को हमारी कृषि भूमि की सभी दिशाओ की सीमा की पत्थरगड़ी करा सीमाकंन कराना आवश्यक है ताकि भविष्य में हमारी भूमि की सीमा को लेकर विपक्षीगण से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही हो। अंत में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय का आदेश फरमाया जावें कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या दो में वर्णित हम प्रार्थीगण की सहखातेदारी की कृषि भूमियों की सभी दिशाओ की सीमा की पत्थरगढ़ी कराई जाकर स्थायी सीमाकंन कराया जावें तथा हम प्रार्थीगण की सहखातेदारी की कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 21 अथवा अन्य किसी का अवैध कब्जा एवं अवैध निर्माण पाया जावें तो हमारी कृषि भूमि से उनके खर्चे से इनके अवैध कब्जे एवं अवैध निर्माण को हटवाया जाकर हमारी कृषि भूमि का कब्जा हम प्रार्थीगण को सुपुर्द किये जाने हेतु आदेशित किया जावें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत है।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 से 5, 7 से 11, 14 से 19 बावजूद सूचना अनुपस्थि रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। विपक्षी संख्या 6, 13 फौत हो जाने से अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नही चाहने बाबत निवेदन करने से कार्यवाही ड्रोप की गई। विपक्षी 1, 12, 20, 21 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत कर पत्थरगड़ी किये जाने में कोई आपत्ति नही होना जाहीर किया। विपक्षी संख्या 22 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्षकारान द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी हक की भूमि है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:43:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण की भूमि की का सीमांकन करवाकर पत्थरगड़ी करवाए जाने का आदेश प्रदान करावें।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा गन्दोलीखेड़ा पटवार हल्का लदानी तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 202 पर दर्ज आराजी नम्बर 495/81 रकबा 0.2671 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 84 पर दर्ज आराजी नम्बर 86, 87 किता 2 कुल रकबा 0.2995 हैक्टर भूमि, खाता संख्या 176 पर दर्ज आराजी नम्बर 90, 91 किता 2 कुल रकबा 0.2833 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 203 पर दर्ज आराजी नम्बर 95 रकबा 0.2347 हैक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या 177 पर दर्ज आराजी नम्बर 141, 88, 89 किता 3 कुल रकबा 0.6961 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 व 21 का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है किसी प्रकार की घोषणा नही चाही गई है। उक्त भूमि का सीमाकंन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 व 21 के मध्य सीमा संबंधि विवाद नही रहेगा। इसलिये प्रार्थीया को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीगण द्वारा अनुतोष में अंकित किया है कि उक्त भूमि पर कब्जा विपक्षीगण का पाया जाता है तो कब्जा भी दिलवाया जावे। इस संबंध में विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। जिसमें केवल मात्र पत्थरगड़ी करने के आदेश दिए जा सकते है। कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना होगा। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

4. अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा गन्दोलीखेड़ा पटवार हल्का लदानी तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 202 पर दर्ज आराजी नम्बर 495/81 रकबा 0.2671 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 84 पर दर्ज आराजी नम्बर 86, 87 किता 2 कुल रकबा 0.2995 हैक्टर भूमि, खाता संख्या 176 पर दर्ज आराजी नम्बर 90, 91 किता 2 कुल रकबा 0.2833 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 203 पर दर्ज आराजी [illegible] रकबा 0.2347 हैक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या 177 पर दर्ज आराजी नम्बर 141, [illegible], 89 किता 3 कुल रकबा 0.6961

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:43:12 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टेयर भूमि की चारो दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी है। यदि उक्त भूमि पर कब्जा विपक्षीगण का पाया जाता है तो इसके लिए प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में कब्जा प्राप्त करने का वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर अदा करें।

5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:43:12 IST
Reason: SelfAttested